IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)
e-ISSN: 2320–7388,p-ISSN: 2320–737X Volume 4, Issue 4 Ver. I (Jul-Aug. 2014), PP 51-55
www.iosrjournals.org

शिक्षा के समान अधिकार अधिनियम- के संदर्भ में प्राथमिक शालाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन

डॉ0 पदम श्री
शिक्षक शिक्षा विभाग , वर्धमान कॉलेज, बिजनौर, उत्तर प्रदेश

सार
भारत विश्व का एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि देश के सभी नागरिक शिक्षित हों , क्योंकि शिक्षा राष्ट्रीय विकास के प्रत्येक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।
भारतीय संविधान में भी स्पष्ट किया गया है कि संविधान के क्रिया न्वित होने के 10 वर्षों के मध्य राज्य उन सभी बच्चों के लिए जो 14 वर्ष आयु प्राप्त नहीं कर लेते निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा।
अतः प्रस्तुत शोध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के संदर्भ में शालाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। प्राप्त निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि शालाओं में बालकों की तुलना में बालिकाओं की निरंतरता में कमी है और त्याग दर अधिक है। अत : पालकों में जागरूकता लाने की दिशा में कार्य किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावना (Introduction) -

यदि प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद सही व ठोस हो तथा उचित मार्गदर्शन की प्राप्ति हो तो ऐसी स्थिति में शिक्षा बच्चे के लिए कभी समस्या नहीं बन सकती। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जब बच्चे को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाये तो बालक सम्पूर्ण बातों को पूर्णरूपेण आत्मसात कर लेगा और यह कार्य प्राथमिक शिक्षा द्वारा ही संभव है।

प्राथमिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान की धारा 27 में स्पष्ट किया गया है कि " प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बालक का अधिकार है और उसकी इस मांग को पूरा करना राष्ट्र का कर्तव्य है।

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा की महत्ता स्वमेव स्पष्ट हो जाती है। इसी आवश्यकता को महत्व प्रदान करते हुए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को शामिल कर घोषणा की गई है कि "संविधान के क्रियान्वयन होने के 10 वर्षों के मध्य राज्य उन सभी बच्चों के लिए जो 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार:

1. 6 से 14 साल के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्यप्रारंभिक शिक्षा का अधिकार होगा।
2. उपखण्ड (1) को ऐसे समझा जावे कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा करने की जरूरत नहीं है।
3. साथ ही ऐसे अशक्त बच्चे जिनकी परिभाषा पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1996 की धारा 2 में दी गई है उन्हें भी उक्त अधिनियम के पांचवे अध्याय के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार होगा।
4. 6 वर्ष से ज्यादा उम्र के ऐसे बच्चे जिनका किसी स्कूल में दाखिला नहीं हो पाया है या दाखिल है पर प्रारंभिक शिक्षा को पूरा नहीं कर पाये हैं , उन्हें अपनी उम्र के मुताबिक उपयुक्त कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। यदि उम्र के अनुसार कक्षा में दाखिल नहीं हो पाया है तो दूसरे बच्चों के बराबर आने के लिए विशेष प्रशिक्षण का अधिकार होगा। जैसा कि प्रस्तावित किया जायेगा। इस प्रकार के दाखिले में 14 वर्ष की उम्र हो चुकने के बाद भी निः शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करनेपर उसका अधिकार बना रहेगा।

शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study) – शोध के उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की दर्ज संख्या में निरंतरताका पता लगाना।
2. ग्रामीण एवं शहरी छात्रों की प्रतिधारण दर में अन्तर ज्ञात करना।
3. छात्र-छात्राओं के प्रवेश दर में नवाचार एवं योजनाओं के प्रभाव का पता लगाना।
4. छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना।
5. विभिन्न नवाचार, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधियों के सहयोग वभागीदारी का पता लगाना ।

शोध प्रश्न (Research Questions) – प्रस्तुत शोध के लिए निम्नलिखित शोध प्रश्न हैं-

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में कितनीनिरंतरता है?
2. ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की प्रतिधारण दर में कितना अन्तर है?

3. छात्र-छात्राओं की प्रवेश दर पर नवाचार एवं योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ता है?
4. छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शैक्षिक योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ता
5. विभिन्न नवाचार योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधियों का सहयोग वभागीदारी कितनी सकारात्मक है।

परिसीमन (Delimitation) – प्रस्तुत शोध ..... शैक्षणिक जिले के अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत बालक -बालिकाओं तक परिसीमित है।

शोध प्रक्रिया (Research Process) -

- **शोध विधि (Research Method)** – प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कियागया है।
- **न्यादर्श (Sample)** – प्रस्तुत अध्ययन में ..... 40 छात्र व 40 छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है।
- **उपकरण (Tools)** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में आँकड़ों के संकलन हेतु निम्नलिखित उपकरणों काप्रयोग किया गया है -

1. प्रश्नावली (स्वनिर्मित) – प्रधान अध्यापकों तथा अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति।
2. अभिलेखों का अध्ययन – विकासखंड कार्यालय के अभिलेख ।
3. प्रत्यक्ष अवलोकन

- **चर (Variables) -** प्रस्तुत शोध में चरों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है-

1. स्वतंत्र चर – बालक/बालिकाएँ, शैक्षिक योजनाएँ।

2. परतंत्र चर - प्राथमिक शालाओं में बच्चों की वर्तमान स्थिति दर्ज संख्या, प्रतिधारण दर, शैक्षिक उपलब्धि।

सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistical Operations) – प्रस्तुत शोध में सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु मध्यमान एवं प्रतिशत कीगणना की गयी।

शोध प्रश्न क्रमांक – 01

"ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रछात्राओं की दर्ज संख्या में कितनी निरंतरता है?"

शोध प्रश्न के आधार पर प्राथमिक शालाओं के दर्ज संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया।

प्राथमिक शालाओं के दर्ज संख्या की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग कियागया -

$$\text{प्रगति दर} = \frac{\text{अगली कक्षा में अगले सत्र जाने वाले छात्रों की संख्या}}{\text{किसी सत्र में कक्षा 1ली में कुल छात्रों की संख्या}} \times 100$$

उपरोक्त सूत्र के आधार पर विद्यालय से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया गया।

सारिणी क्रमांक – 01(क)

शहरी क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में कक्षा में प्रवेश पश्चात् शाला में बने रहे(अध्ययनरत) विद्यार्थी

क्र	बालक समूह							बालिका समूह				
	सत्र	कक्षा	अजा	अजजा	पिछड़ा	सामान्य	योग	अजा	अजजा	पिछड़ा	सामान्य	योग
1	2007	1 री	08	03	22	02	35	12	02	25	02	41
2	2008	2री	07	02	12	02	23	06	02	22	02	32
3	2009	3री	07	01	11	01	20	04	02	21	02	29
4	2010	4थी	05	01	07	01	14	02	02	10	01	15
5	2011	5वी	04	00	04	00	08	02	02	10	01	15
कुल योग			31	07	56	06	100	26	10	88	08	132

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र में वर्ष 2007 में कक्षा पहली में दर्ज बालकों की संख्या 35 तथा बालिकाओं की संख्या 41, कुल 76 थी। कक्षा दूसरी में प्रवेश लेने वाले बालक 23 तथा बालिकाएँ 32 थी। इस प्रकार कुल संख्या 55 थी। अतः प्रगति दर 72.36 प्रतिशत प्राप्त हुयी।

निष्कर्ष – शहरी क्षेत्र के कक्षा पहली से कक्षा दूसरी में जाने वाली बालकबालिकाओं का प्रतिशत 72.36 है।

सारिणी क्रमांक – 01 (ख)

ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में कक्षा में प्रवेश पश्चात् शाला में बने रहे(अध्ययनरत) विद्यार्थी

क्र	बालक समूह							बालिका समूह				
	सत्र	कक्षा	अजा	अजजा	पिछड़ा	सामान्य	योग	अजा	अजजा	पिछड़ा	सामान्य	योग
1	2007	1 री	21	03	32	03	59	21	06	26	05	58
2	2008	2री	15	01	23	02	41	17	03	20	02	42
3	2009	3री	14	01	21	02	38	16	03	19	02	40
4	2010	4थी	14	01	19	02	36	16	03	18	02	39
5	2011	5वी	14	01	19	02	36	16	02	17	02	37

कुल योग	78	07	114	11	210	86	17	100	13	216

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2007 वर्ष में शाला में प्रवेश लेने वाले बालक/बालिका की दर्ज संख्या 59 एवं 58 कुल 117 थी तथा तथा कक्षा 2 री में उनकी संख्या क्रमशः 41 एवं 42 तथा कुल 83 विद्यार्थी थे। प्रगति दर 70.94% प्राप्त हुई।

निष्कर्ष – ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा पहली से कक्षा दूसरी में जाने वाले बालक -बालिकाओं का प्रतिशत 70.94 है। अतः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों निरंतरता में अंतर पाया गया।

शोध प्रश्न क्रमांक - 02

"ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की प्रतिधारण द में कितना अन्तर होगा?"

सारणी क्रमांक – 02 (क)

सत्र-2009 में ग्रामीण एवं शहरी छात्रों की दर्ज संख्या

क्र	क्षेत्र	वर्ग	1ली	2री	3री	4थी	5वीं
1	ग्रामीण	बालक	40	38	41	52	37
		बालिका	48	20	28	42	43
2	शहरी	बालक	58	42	46	44	32
		बालिका	41	46	49	51	42

सारणी क्रमांक – 02 (ख)

सत्र-2011-12 में ग्रामीण एवं शहरी छात्रों की दर्ज संख्या

क्र	क्षेत्र	वर्ग	1ली	2री	3री	4थी	5वीं
1	ग्रामीण	बालक	48	59	45	58	40
		बालिका	51	42	36	36	49
2	शहरी	बालक	78	44	48	52	41
		बालिका	76	45	42	50	54

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका 02 (क) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में - वर्ष 2011-12 में दर्ज कक्षा 5 में बालक तथा बालिकाओं की संख्या 89 तथा तीन वर्ष पूर्व कक्षा 1ली में दर्ज बालक तथा बालिकाओं की संख्या88 है। इसी प्रकार प्रति धारण दर 101.13 प्रतिशत प्राप्त हुई।

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका 02 (ख) के अनुसार शहरी क्षेत्र में - वर्ष 2011-12 में दर्ज कक्षा 5 में बालक/बालिका की संख्या 95 तथा तीन वर्ष पूर्व कक्षा 1ली में दर्ज बालक/बालिका की संख्या 99 है। अतः प्रतिधारण दर 95.95 प्रतिशत प्राप्त हुई।

निष्कर्ष – शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की प्रतिधारण दर अधिक है। प्रतिधारण दर ग्रामीण क्षेत्र में 101.13% एवं शहरी क्षेत्र में 95.95% है।

शोध प्रश्न क्रमांक – 03

"छात्र-छात्राओं की प्रवेश दर पर नवाचार एवं योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ता है ?" विश्लेषण – प्रश्न क्रमांक – 03 के परीक्षण हेतु विगत वर्षों की शालावार दर्ज संख्याओं की जानकारी सूची प्राप्त की गई।

सारिणी क्रमांक – 03

ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक शालाओं की दर्ज संख्या

क्र.	क्षेत्र	सत्र 2009-10			सत्र 2010-11			सत्र 2011-12		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	ग्रामीण	208	191	399	234	212	446	250	214	464
2	शहरी	222	239	461	252	251	503	263	167	533

उपरोक्त तालिका के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं की दर्ज संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष बालक/बालिकाओं की दर्ज संख्या में वृद्धि का कारण नवाचार एवं शैक्षिक योजनाओं का प्रभाव हो सकता है।

शोध प्रश्न क्रमांक – 04

"छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर नवाचारी शैक्षिक योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ता है"

सारिणी क्रमांक - 04

ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक शालाओं की उपलब्धि

क्र.	विवरण	दर्ज	उत्तीर्ण	प्रतिशत	अंतर
1	2007	103	52	50.4	42.6
2	2011	200	186	93	

उपरोक्त तालिका के आधार पर कहा जा सकता है कि नवाचार एवं शैक्षिक योजनाओं का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

शोध प्रश्न क्रमांक – 05

"विभिन्न नवाचार योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों का सहयोग व भागीदारी कितनी सकारात्मक है"

सारिणी क्रमांक - 05 (क)

प्रधान पाठकों के अभिमतानुसार विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी

क्र.	नाम	प्राप्त मत भार (प्रतिशत में)	
		ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	संतोषजनक	70	40
2	सामान्य	20	50
3	असंतोषजनक	10	10

उपरोक्त तालिका के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास समिति का योगदान संतोषजनक है किन्तु शहरी क्षेत्रों में यह सामान्य है।

सारिणी क्रमांक – 05 (ख)

अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अभिमतानुसार जनप्रतिनिधियों की भागीदारी

क्र.	नाम	प्राप्त मत भार (प्रतिशत में)	
		ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	संतोषजनक	70	30
2	सामान्य	30	50
3	असंतोषजनक	निरंक	20

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास समिति का सहयोग व भागीदारी संतोषजनक है किन्तु शहरी क्षेत्रोंमें यह सामान्य है।

निष्कर्ष (Conclusion) – प्रस्तुत लघु शोध में संकलित आँकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं–

1. ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रछात्राओं की निरंतरता क्रमशः 70.94% तथा 72.36 है।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश दर में निरंतर वृद्धि हुई है। अतः कहा जा सकता है कि विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बालक/बालिकाओं के प्रवेश दर में वृद्धि हुई है।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की शालाधारण दर कम पायी गयी है अर्थात् बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में शाला त्याग अधिक होती है।
4. शैक्षिक योजनाओं का शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
5. विभिन्न नवाचारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधियों का सहयोग व भागीदारी सकारात्मक है।

सुझाव (Suggestions) - शोध निष्कर्षों के आधार पर निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत हैं–

1. शालाओं में प्रवेश दर और शाला धारण बढ़ाने हेतु पालकों को जागरूक करना आवश्यक है। पालकों को जागरूक करने के लिए समय - समय पर रैली का आयोजन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्मुखीकरण आदि के द्वारा शिक्षा के महत्व से परिचितकरना चाहिए।
2. शिक्षकों का अध्यापन रूचिकर होना चाहिए जिससे शालाओं में शाला धारण बढ़े।
3. अध्यापन को रूचिकर बनाने के लिए शिक्षकों को सहायक शिक्षण सामग्री का पर्याप्तउपयोग करना चाहिए।
4. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए।
5. इन्हें विद्यालय से जोड़ने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।
6. विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का समय पर मूल्यांकन होना चाहिए जिससेशिक्षकों की सक्रियता भी प्रदर्शित हो।

संदर्भ (References) -

1. देवी, के.जी. (1983) : प्राब्लम आफ ड्राप आऊट इन प्रायमरी स्कूल आफ मनीपुर विथस्पेशल रिफ्रेन्स टू इम्फाल टाऊन

2. दास, जे.आर. एवं गर्ग, पी.पी. (1985) ने इम्पेक्ट आफ प्री प्रायमरी एजुकेशन ड्रापआऊट, स्टेग्निशन एण्ड एकेमिक परफारमेन्स ।

3. 3.नायक, कु. छाया (1987) : " शैक्षणिक जिला बिलासपुर में औपचारिकेत्तर शिक्षा की प्रगति एवं कार्य प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन" (एम.एड.) लघुशोध प्रबंध शा.शि. म.वि., बिलासपुर।

4. 4.ग्रोवर, जे. (1988) : "ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की भारतीय पृष्ठ भूमि में दर्ज संख्या तथा प्रतिधारण दर पर एक क्रमिक अध्ययन" (Reciw Vol. 23 (4) 129, 134) |

5. यादव, गीता (1993) : "शिक्षा के लोक व्यापीकरण के परिपेक्ष्य में बिलासपुर शैक्षिक जिले में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का समीक्षात्मक अध्ययन' (एम.एड.) लघुशोध प्रबंध शा.शि.म.वि. बिलासपुर।

6. 6.आडवानी, अमृतलाल (1995) : "जिला प्राथमिक शिक्षा के परिपेक्ष में प्राथमिक स्तर पर शाला प्रवेश, शालाधारण और शाला त्याग का समीक्षात्मक अध्ययन" (एम.एड.) लघुशोध प्रबंध शा.शि.म.वि. बिलासपुर।

7. बांगिया, जयदेव : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं केन्द्रीय नियम 2010"